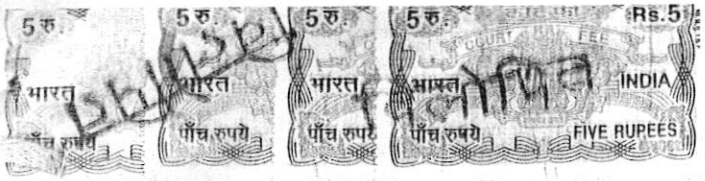

5 रु. 5 रु. 5 रु. 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(58)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

रिव्यु - 2780 - पीबीआर/16

प्रकरण कमांक /16/पुर्नवलोकन

राजवीर सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी मोती झील, जलालपुर, ग्वालियर म0प्र0

———— रिव्यूकर्ता / आवेदक

बनाम

1— बाबूलाल पुत्र भगरी एवं चतुरी पत्नी बाबू लाल (फौत वारिसान)

अ— वृन्दावन पुत्र स्व. श्री बाबू लाल

ब— कमल सिंह पुत्र स्व. श्री बाबू लाल

स— फूलसिंह पुत्र स्व. श्री बाबू लाल

द— महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री बाबू लाल

निवासी ग्राम करोला तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

2— मुन्नी लाल जाटव पुत्र हरिविलास निवासी बुलुआपुरा मोजा करोला परगना व जिला मुरैना म0प्र0

3— देवीराम पुत्र श्री सुखा

4— होतम सिंह पुत्र सुखा

5— मालवी पुत्र सूखा निवासीगण शिवलाल का पुरा मौजा मोडरी तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

6— मु. कलिया पुत्री सूखा पत्नी सुघर सिंह निवासी उत्तम पुरा, मुरैना म0प्र0

———— अनावेदकगण

7— तहसीलदार मौजा करौला

8— रा.नि. मौजा करौला

9— पटवारी मौजा करौला

———— परफोरमा / अनावेदकगण

श्री अजय शर्मा, अभि० द्वारा आज दि. 16.8.16 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.8.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अजयशर्मा 16/8/16

पुर्नवलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरुद्ध श्रीमान् न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 2203–एक / 2016 / निगरानी में पारित आदेश दिनांक 05–08–2016

श्रीमान्

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –2780–एक/16 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
13 .7.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय शर्मा उपस्थित नहीं। प्रकरण में 8 पेशियों से आवेदक अधिवक्ता अनु0 । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया गया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2203–तीन/16 में पारित आदेश दिनांक 05.08.16 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 2780–एक/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। 4– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2203–एक/16 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 05.08.16 से किया जा चुका है। 5– रिव्यु प्रकरण कमांक 2780–एक/16 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय	

जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब–अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य